

Roll No.

LM-108

Insurance Law

(बीमा विधि)

Master of Law (LLM-12/16/17)

Second Year, Examination, 2018

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

(B-49) P. T. O.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Write a comprehensive note on insurable interest as a general principle of insurance law and critically examine it.

बीमा विधि के अन्तर्गत बीमा योग्य हित के सिद्धान्त पर एक वृहद लेख लिखिये एवं इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2. What do you understand by concept of Life Insurance ? Explain the various categories of life insurance policies.

जीवन बीमा के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? जीवन बीमा की विभिन्न पॉलिसियों की व्याख्या कीजिए।

3. Discuss the nature and scope of Marine Insurance and explain perils of the sea under marine insurance.

समुद्री बीमा की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए एवं समुद्री बीमा के अन्तर्गत समुद्री जोखिमों की विवेचना कीजिए।

4. Discuss the term 'Fire' and 'Loss of Fire' under fire insurance and explain the nature of fire insurance.

अग्नि बीमा के अन्तर्गत शब्द 'अग्नि' एवं 'अग्नि द्वारा नुकसान' की व्याख्या कीजिए एवं अग्नि बीमा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख**(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)**

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain the principle of utmost good faith.
परम सद्विश्वास के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
2. Discuss indemnity principle.
क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
3. Explain 'Person entitled to payment' under life insurance.
जीवन बीमा के अन्तर्गत 'भुगतान का अधिकारी व्यक्ति' को समझाइये।
4. What do you understand by 'Risk' ?
'जोखिम' से आप क्या समझते हैं ?
5. Explain 'Perils of the Sea'.
'समुद्री जोखिम' की व्याख्या कीजिए।

6. Discuss emergency risks insurance under fire insurance.

अग्नि बीमा के अन्तर्गत आपात जोखिम बीमा की व्याख्या कीजिए।

7. Explain the principle of express warranty.

अभिव्यक्त वारण्टी के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

8. What is agricultural insurance ? Explain.

कृषि बीमा क्या है ? व्याख्या कीजिए।

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the blanks :

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. Life insurance is a husband's a wife's and a child's

जीवन बीमा एक पति का एक पत्नी का और एक सन्तान का है।

2. Lord Mansfield said that there is no doubt, and in reality, the insurance contract, whatever may be the type is a

लार्ड मेन्सफील्ड ने कहा है कि इसमें सन्देह नहीं है, और वास्तविकता में, बीमा संविदा जिस प्रकार की हो, एक है।

3. The Insurance Act, 1938 defines fire insurance business under Section

बीमा अधिनियम, 1938 अग्नि बीमा व्यापार को धारा में परिभाषित करता है।

4. The Marine Insurance Act, 1963 a contract of marine insurance is defined under Section

समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 समुद्री बीमा की संविदा को धारा में परिभाषित किया गया है।

5. Under Marine Insurance Act, Section 25 lays down the of the marine policy.

समुद्री बीमा अधिनियम, की धारा 25 में समुद्री पॉलिसी के को दिया गया है।

6. The maxim 'ex turpi causa non oritur actio' means

सूत्र 'एक्स टरपी कोजा नॉन ऑरीटर एक्सीयो' से तात्पर्य है कि ।

7. Under Life Insurance, the insurer is bound to make the payment to the rightful claimant on the of the policy or of the assured.

जीवन बीमा के अन्तर्गत बीमाकर्ता पॉलिसी की पर
अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पर अधिकृत दावाकर्ता
को भुगतान करने के लिये बाध्य है।

8. In order to constitute a loss covered by a fire policy, there must be an actual

अग्नि पॉलिसी के अन्तर्गत हानि को स्थापित करने के क्रम में,
वास्तविक आवश्यक है।

9. In Indian Marine Insurance Act, under Section lays down 'where the course of voyage is not specifically mentioned in the policy, the usual and customary course is departed from'.

भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम की धारा के
अन्तर्गत उल्लिखित करता है कि 'जहाँ पर यात्रा का मार्ग
विशेष तौर से पॉलिसी में निर्धारित नहीं है तो स्वाभाविक एवं
आचारिक मार्ग से विचलित हो सकता है।'

10. The Insurance Act, 1938, under Section 47, provides for payment of money into

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 47, में धन के
भुगतान को बताती है।